कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)
Office of The Executive Engineer,CD.PW.D Ramnagar (Nainital)
Fax No.: 05947-254591 E-Mail:- eecdrmr@rediffmail.com

पत्रांक 895 / 23 सी0

सेवा में,

दिनांक 22/06/2022

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर जिला नैनीताल।

विषयः– जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत देचौरी देगॉव नया पाण्डेगॉव में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देचौरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.405 है0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 3311/FP/UK/ROAD/10398/2015 दिनांक 19.05.2015, 1351/12–21 दिनांक 06.12.2021 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 1892/23 सी0 दिनांक 21.12.2021, 579 /23 सी0 दिनांक 30.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण पर निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस खण्ड के पत्रांक 1892/23 सी0 दिनांक 21.12.2021 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है, जिस पर आपके स्तर से आतिथि तक कार्यवाही अपेक्षित है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण पर पूर्व से काफी विलम्ब हो चुका है, जिससे क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधियों एवं उच्चाधिकारियों द्वारा असन्तोष व्यक्त किया जा रहा है।

अतः आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण पर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ताकि प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22-6-22

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 895 /23 सी0 तद् दिनांकित

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता ( ), निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C

22-6-22

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)
Office of The Executive Engineer, C.D. P.W.D Ramnagar (Nainital)
E-Mail – eecdrmr@rediffmail.com

पत्रांकः– 1892 / 23 सी0

दिनांक 21 / 12 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर।

विषय– **जनपद नैनीताल के विधान सभा कालाढुंगी के विकास खण्ड कोटाबाग के अन्तर्गत देचौरी देगॉव नया पाण्डेगॉव में आनन्द सिंह के घर से राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय देचौरी देगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.405 हे0 आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**

संन्दर्भ– **आपका पत्रांक 3311 / FP/UK/ROAD /10398/2015 दिनांक 19.05.2015 एवं आपका पत्रांक 1351 / 12–21 दिनांक 06.12.2021**

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 1533 / एफ0सी0 / यू0के0 / रोड / 35251 / 2018 दिनांक 01.12.2020 द्वारा प्रश्नगत मार्ग की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आपके सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रकरण पर निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस खण्ड के पत्रांक 1585 / 23 सी0 दिनांक 11.11.2021 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में आख्या पुनः आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है। सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा हैं–

क्र0 सं0	प्रश्न / उल्लेखित शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	**शर्त संख्या 1**– वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा विधिवत की कोई भी शर्त नहीं बदली जायेगी।
2	**शर्त संख्या 2** – परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।
3	**शर्त संख्या 3 – प्रतिपूरक वृक्षरोपण**	
4	**3 (क)** – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 610 पौधो का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.81 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वृक्षारोपण की धनराशि रू0 273120.00 जमा कर दी गयी है।
5	**3 (ख)** – राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कर्यालय को प्रस्तुत करेगी।	संलग्न है।

Recd.
21/12/21

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमकंन और स्तभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जा सकते है।	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि जिस पर सर्वेक्षण, सीमाकंन और स्तम्भ आदि लगाने की आवश्यकता नहीं है। अतः शर्त लागू नहीं है।
5	**शर्त संख्या 5 – शुद्व वर्तमान मूल्य** **(क)** – इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा 5–1/1998 –एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.405 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 359235.00 मात्र के NEFT/ RTGS (चालान) के माध्यम से AD-HoC CAMPA में जमा कर दी गयी है।
	(ख) – विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 39 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण से कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर दिया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पेडों की जो भी लागत होगी उसे जमा कर दिया जायेगा।
7	**शर्त संख्या 7** – परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण की व प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई–पोर्टल https://parivesh-nic-in) के माध्यम से जमा की गयी है।
8	**शर्त संख्या 8** – गाईड लाईन्स में दिए गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित कियये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी की जो भी गाईड लाईन होगी उसी के अनुसार कार्य कराया जायेगा।
9	**शर्त संख्या 9** – एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
10	**शर्त संख्या 10** – प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	वन विभाग द्वारा जो भी गाईड लाईन दी जायेगी, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आई0आर0सी0 मापदण्डों का पालन किया जायेगा।

11	**शर्त संख्या 11** – संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में सडक की निश्चित दूरी पर साईनेज लगाये जायेगे।
12	**शर्त संख्या 12** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधॉनों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनिम 1986 के प्राविधॉनों का पालन किया जायेगा।
13	**शर्त संख्या 13** – केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बिना अनुमति के प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
14	**शर्त संख्या 14**– वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जायेगे।
15	**शर्त संख्या 15** – प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	मोटर मार्ग पर कार्य किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों के लिए वैकल्पिक ईधन एवं लकडी इत्यादि की व्यवस्था की जायेगी।
16	**शर्त संख्या 16** – सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी क निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का सीमाकंन किया जायेगा।
17	**शर्त संख्या 17** – परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए नियमानुसार सामग्री परिवहन एवं वन क्षेत्र में मार्ग से सम्बन्धित कोई अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं किया जायेगा।
18	**शर्त संख्या 18** – वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19	**शर्त संख्या 19** – केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
20	**शर्त संख्या 20** – इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्य 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया जायेगा।
21	**शर्त संख्या 21** – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	वन विभाग द्वारा जो भी शर्त लागू होगी, उन शर्तो का समय–समय पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
22	**शर्त संख्या 22**– प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व विर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलुवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलुवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मोटर मार्ग की कटिंग से उत्सर्जित मलुवा आयेगा उसे दीवारों, कॉजवों, स्कपरों पर प्रयोग किया जायेगा एवं जो मलुवा शेष बचेगा उसे मक डिस्पोजल स्थानों पर निस्तारण किया जायेगा।

23	**शर्त संख्या 23** – यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	यदि इस शर्त में कोई परिवर्तन होता है तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका अनुपालन किया जायेगा।

20/5/25
(इं0 रविन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 1892 /23 सी0 तद्दिनांकित। 01C

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून, को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षण, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

20/5/25
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)